भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 709
दिनांक 7 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को मानदेय

709. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में अंतिम संशोधन कब किया गया था और आज की स्थिति के अनुसार उन्हें कितना-कितना मानदेय दिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा बड़ी संख्या में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को उनके कार्यभार के अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उनके मानदेय को उनके कार्यभार के अनुरूप संशोधित करने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का प्रत्येक आंगनवाड़ी में एक अतिरिक्त कार्यकर्त्री नियुक्त करने का प्रस्ताव है ताकि कार्यभार को बांटा जा सके और प्री-स्कूल शिक्षा पर और अधिक ध्यान दिया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका स्थानीय समुदाय से “मानद कार्यकर्त्री” हैं जो समुदाय की मदद करने के उद्देश्य से बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र

में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। भारत सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के मानदेय में समय-समय पर वृद्धि करती है। दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से भारत सरकार ने मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह कर दिया है; लघु आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह कर दिया है; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह कर दिया है; और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 250 रुपये प्रति माह एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 500 रुपये का कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन शुरू किया है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/टॉप-अप भी दे रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग हैं। इसका विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न पहल शुरू की गई हैं:

(i) पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाते हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों की पूरा किए जाने के अधीन 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

(ii) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएँ: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये के जीवन कवर (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु शामिल) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18-59 वर्ष की आयु वर्ग में के लिए 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/ बीमा का लाभ 1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है।

(iii) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत नामाकंन कराने के लिए प्रोत्साहित करें । यह वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है ।

(iv) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।

(v) अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य सेवा कवरेज देने की घोषणा की गई है।

सरकार ने सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे देश भर के इन लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बोझ को साझा करने के लिए एक आंगनवाड़ी सहायिकाएं जुड़ जाएगी।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अलावा, पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से आईटी सिस्टम का उपयोग कार्यभार को कम करने के लिए किया गया है, जिसने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा तैयार और उपयोग किए जाने वाले ग्यारह में से नौ कागजी रजिस्टरों को डिजिटलीकृत और स्वचालित किया है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुलग्नक

‘आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को मानदेय’ के संबंध में श्री के राधाकृष्णन द्वारा 07.02.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 709 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्रम सं	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	जैसा कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्वयं के स्रोतों से दिए जा रहे अतिरिक्त प्रोत्साहन/मानदेय (प्रति माह) रु.में	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	आंगनवाड़ी सहायिका
1	आंध्र प्रदेश	7000	4750
2	बिहार	2500	1725
3	छत्तीसगढ़	5500	2750
4	गोवा	5500 (0-10 वर्ष का अनुभव), 6000 (10-15 वर्ष का अनुभव), 8000 (15 से 20 वर्ष का अनुभव) 10000 (20-25 वर्ष का अनुभव) और 12000 (25 वर्ष और इससे ज्यादा का अनुभव)	3000 (0-5 वर्ष का अनुभव), 3500 (5-10 वर्ष का अनुभव), 4000 (10 से 15 वर्ष का अनुभव) 4500 (15-20 वर्ष का अनुभव) 5250 (20 से 25 वर्ष का अनुभव)और 6000 (25 वर्ष और इससे ज्यादा का अनुभव)
5	गुजरात	5500	3250
6	हरियाणा	9500 (एडब्ल्यूडब्ल्यू 10 वर्ष से अधिक का अनुभव) 9000 (एडब्ल्यूडब्ल्यू 10 वर्ष से कम सेवा/अनुभव) 9000 (लघु एडब्ल्यूडब्ल्यू) 4000 प्ले स्कूलों (अपग्रेडेड आंगनवाड़ी केन्द्रों) में कार्यरत 4000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।	5250

7	हिमाचल प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 5000 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 2950	3100
8	जम्मू एवं कश्मीर	600	300
9	झारखंड	5000 (मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र) और 6000 (लघु आंगनवाड़ी केन्द्र)	2500
10	कर्नाटक	6500	4000
11	केरल	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 8000/- रुपये तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 8500/- रुपये	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली का 6250/- रुपये और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली का 6750/- रुपये
12	मध्य प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 8500 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3750	4250
13	महाराष्ट्र	5500 (10 वर्ष तक का अनुभव) 5800 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 5900 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 6000 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3250 (10 वर्ष तक का अनुभव) 3415 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 3470 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 3525 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)
14	ओडिशा	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1875	1500
15	पंजाब	5000 (प्रति वर्ष 500 रुपये की वृद्धि)	3100 (प्रति माह 250 की वृद्धि)
16	राजस्थान	4554	3036
17	तमिलनाडु	10502	6596
18	तेलंगाना	9150	5550
19	उत्तर प्रदेश	1500	750
20	उत्तराखंड	4800-एडब्लूडब्लू और 2750-लघु एडब्लूडब्लू	3000
21	पश्चिम बंगाल	3750	4050

22	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7500	5750
23	चंडीगढ़	3600	1800
24	दादरा और नगर हवेली/दमन एवं दीव	1000	600
25	लक्षद्वीप	5500	4750
26	दिल्ली	8220	4560
27	पुदुचेरी	1950	2125
28	अरुणाचल प्रदेश	16.01.2024 से 2000+ 1000 अर्थात	16.01.2024 से 2000+ 1000 अर्थात
29	असम	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 2000 और लघु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 1250	1000
30	मणिपुर	1000	600
31	मेघालय	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1500	1000
32	मिजोरम	450	250
33	नागालैंड	0	0
34	सिक्किम	7000	4500
35	त्रिपुरा	5946 (अधिकतम) और 3500 (न्यूनतम)	4218 (अधिकतम) और 2750 (न्यूनतम)
36	लद्दाख	1300	650

*****